

ध्यान दें

1. अनुसूची 5 में :-

(क) आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, किन्तुके लिए रिटिंगि अधिकारी द्वारा पंथरिट जारी किए गए हैं, सतन की जानी है।

(ख) यदि अथरथी/उसके रिखेदार/उकेट का वाहन निरुवन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किरण पर लेने का कलित किरण, केवल एक वाहन को उकेकर जो अथरथी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईधन का कलित किरण और ऐसे वाहनों के वातक का वेतन, उकरके सारणी में वय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

2. सभी अनुसूचियों में वरसुओं और सेवकों पर वय यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/सेवा/व्यक्ति किरण आदि द्वारा अथरथी के पक्ष पर उरालब्ध कराया जाता है तो ऐसी वरसुओं एवं सेवकों का कलित किरण उकर दिए सनकित कलतन में दर्शाया जाना चाहिए।

3. धना-3 में राजनीतिक दल या अन्य से प्राप्त निधि या अथरथी की स्वयं की कुल धन-राशि का निधि-वार उरलेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निरुवन वय के लिए खते गए अथरथी के ईके खते में पहले जना करा देनी चाहिए।

4. सार रिखणी का प्रत्येक पृष्ठ अथरथी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/वरुंअल कैम्पेन/ईईपीएस/2022, तिनांक 15 जनवरी, 2022 के जरिए संशोधित, अनुब-व9 पर रखा हुआ है)

निरुवन व्यर्थों का सार रिखण

भाग-1: निरुवन व्यर्थों का सार रिखण

भाग-1: निरुवन व्यर्थों का सार रिखण	
I	अथरथी का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीकमलेश्वर शर्मा
II	निरुवन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 143 पीनभारत
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम राजस्थान
IV	निरुवन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के सभासद निरुवन/उप/निरुवन का उरलेख करें) राज्य विधान सभा
V	परिणाम घोषित करने की तारीख 3/12/23
VI	निरुवन अधिकारी का नाम एवं पता प्रवीण कुमार
VII	यदि अथरथी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनीतिक दल के नाम का उरलेख करें —
VIII	क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है? हां/नहीं —

दिनांक: 29/12/23

स्थान: जालौर

अथरथी के हस्ताक्षर

नाम: श्रीकमलेश्वर शर्मा

भाग - II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उम्मेद के निर्वाचन अधिकता द्वारा उभार/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	राजनीतिक दल द्वारा उभार/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	अन्य द्वारा उभार/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (रुपये में) (3), (4) एवं (5) का जोड़
1	जन समाज, सैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय	0	0	0	0
2	जन समाज, सैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थी, राजनीतिक दल के स्टाफ प्रचारको पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
3	जन समाज, सैली के साथ जन समाज, सैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थी, साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
4	क्रम संख्या-ख में उल्लिखित जन समाजों, सैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संलग्न करें)	1150	0	8280	9430
5	(क) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो कैमल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
6	(ख) केवल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो कैमल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
7	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (ती) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संलग्न करें)	4000	0	4000	4400
8	प्रचार कार्डकार्डों/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
9	अन्य कोई प्रचार व्यय	2400	0	0	2400
10	आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उभारा व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
11	VIII बुद्धूअन प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
12	कुल योग	29150	0	48280	77430

भाग - III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संलग्न करें)	99150
2	पार्टी (पार्टी) से मकददी या बैंक इत्यादि के रूप में प्राप्त (एकमुद्रत राशि) (अनुसूची-8 के अनुसार संलग्न करें)	0
3	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/व्यक्तिगत निकायों इत्यादि से प्राप्त उधरन या धरे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुद्रत राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संलग्न करें)	48280
4	कुल योग	77430